

02.05.  
2022

Not Ready

मामला नंबर

(कानून का काम  
श्रीम (रुद्र)

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्राथमिक  
ने प्रकल को नोट डेफ किया। वकील प्राथमिक प्रकरण  
को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। P.O. साहब  
V.C. में धरते हैं। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक  
05.05.2022 को पेश हो। सुदेश

05.05.  
2022

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित नहीं। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। वकील प्राथमिक डाटा पूर्व में  
पत्रावली को नोट डेफ किया जा चुका है। वकील प्राथमिक  
पत्रावली को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रसूत  
प्रकल प्रार्थना पर मुंबई न्यायालय में खारिज किया  
जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपरोक्त अधिकारी  
हिंडोनासिरी को प्रेषित हो। पत्रावली के फल शुभार  
होकर वास वकील दाखिल इज्जत हो।

- Muk  
जिला कलक्टर  
करौली